अति–आवश्यक / सर्वोच्च प्राथमिकता

स्मरण पत्र–1

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:– एफ2(3)लागत / 1037 (vi)/01856/165 दिनांक : यथा हस्ताक्षरित

–: परिपत्र :–

मण्डल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2026–27 की विकसित भूमि दर निर्धारित करने हेतु, परिपत्र संख्या एफ2(3)लागत / 1037 (vi)/01856/160 दिनांक 19.05.2026 के द्वारा अपेक्षित सूचनायें दिनांक 25.05.2026 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन किसी भी वृत्त / खण्ड कार्यालयों से आदिनाक वांछित सूचनाएं प्राप्त नही हुई है।

उक्त सूचनाओं के अभाव में वर्ष 2026–27 के लिए मण्डल की योजनाओं की विकसित भूमि दर निर्धारित किया जाना संभव नही हो रहा है। उक्त सदर्भित पत्र द्वारा चाही गई सूचनाएं दिनांक 08.06.2026 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करावें। ताकि प्राप्त दस्तावेजों की जांच कर आगामी वर्ष 2026–27 की विकसित भूमि दर निर्धारित की जा सके। **इसे सर्वोच्च प्रथमिकता दी जावे।**

वांछित सूचना यथा समय उचित माध्यम से प्राप्त न होने पर देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / वित्तीय सलाहकार, रा०आ०म०, जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0) / सचिव, रा०आ०म०, जयपुर।
3– अति०मु०अभियन्ता, ..., रा०आ०म०, जयपुर / जोधपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ....., रा०आ०म०, ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करे।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड– ....., रा०आ०म०, ...।
7– सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, वृत्त– ....., रा०आ०म०, ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Signed by: Krishan Chandra Kumawat
Financial Advisor